

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सुखाराम पुत्र औंकारराम जाति जाट निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामन सिटी		राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि(भूमिधारी) तहसीलदार कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन

राजस्व प्रार्थना-पत्र - अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट 1955

प्रार्थना-पत्र नम्बर 52 /2025

GCMS No.2025/99

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

03.03.2025

यह राजस्व प्रार्थना-पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा व 136 आरएलआर एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 10/03/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

10/3/25

पत्रावली पेश हुयी। तब उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अनुसार तलब किया गया है। पत्रावली दिनांक 21/3/25 को पेश हो।

21/3/25

पत्रावली पेश हुयी। तब उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अनुसार तलब किया गया है। पत्रावली दिनांक 24/3/25 को पेश हो।

24/3/25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपरोक्त तहसीलदार रिपोर्ट जहाँ शामिल मिश्रित रहे तहसीलदार रिपोर्ट का क्षतलोकन किया गया रिपोर्ट अनुसार कम्पा कुचामन सिटी के स्वसरा नम्बर 2682/1661 रकम 1.78 हे० की क्षतलोकन में दर्ज स्वतन्त्र सुखाराम पुत्र औंकारराम हिस्सा 73/358 जाति जाट सा सुजानपुरा का नाम जरिए सुडि पड से 57 दिनांक 10/3/2025 के आर सुडि सुखाराम पुत्र औंकारराम सुडि की जा चुकी है यतः अब यह प्रार्थना पत्र अवर

उपखण्ड अधिकारी कुचामन

सुखाराम वनाम वस्त्रोत्पादक

शा.पड सं. 52/2023- शा.पड अ.धारा 1364R अ.व 1956

सोने-चवने का कोई औचित्य नहीं होने से अफना  
पड धारित किया जाता है। पत्रपत्ती प्रसारण शुमार  
दोकर नम्बर से काम दोकर औचित्य अफतर है।

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*